The heart of
Incredible India

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवां तल, लिली ट्रेडविंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) - 462008

क्रमांक- 5016 /एफ-53/एमपीटीबी/प्रशासन/2023 **भोपाल दिनांक- 31/ 07/2023**

विज्ञापन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा (1) **विषय वस्तु विशेषज्ञ- कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण तथा (2) विषयवस्तु विशेषज्ञ - प्रशिक्षण के 01-01** पद पर संविदा नियुक्ति हेतु अनुभवी विषय विशेषज्ञ के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्तें मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट **www.tourism.mp.gov.in** से प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 21- 08-2023** को **शाम 04.00** बजे है।

प्रबंध संचालक

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,
लिली ट्रेड विंग छठवॉ तल, जहांगीराबाद
भोपाल (म.प्र.)- 462008

पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1- आवेदित पद का नाम- ....

2- विज्ञापन क्रमांक –...

अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि (DDMMYY) शब्दो एवं अंको में	31.07.2023 को आयु (YY/MM/DD)	जातिवर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य	सेवानिवृत्ति की तिथि यदि हो तो (DDMMYY)	मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पत्र व्यवहार का पता						
(10)						

शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उपाधि का नाम	अध्ययन का विषय	श्रेणी	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	अन्य उपलब्धियों का विवरण
(8)	(9)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)

कार्यानुभव					
क्र.	**संस्था/कार्यालय का नाम**	**पद**	**अवधि से तक**	**अनुभव वर्ष/माह**	**अनुभव का कार्यक्षेत्र**
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

यदि वर्तमान में सेवा में हो तो सेवा का नाम	**सेवा का स्वरूप (शासकीय/अशासकीय/स्वयत्तशासी)**	**वर्तमान अथवा अंतिम वेतन(प्रमाण पत्र संलग्न करें)**
(21)	**(22)**	**(23)**

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर - ....

अभ्यर्थी का नाम - ....

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं...शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णत: सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी । उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान:-.................................

दिनांक:-................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-..................

अभ्यर्थी का नाम -......................

संलग्न दस्तावेज -

1. हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
2. स्नातक / स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. शासकीय कार्यालयों / निजी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।
5. शासकीय सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज।
6. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र ।
7. अन्य वांछित दस्तावेज।

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड
6 वीं मंजिल, लिली ट्रेडविंग जहाँगीराबाद, भोपाल
मध्य प्रदेश, पिनकोड - 462008
Website ; www.tourism.mp.gov.in

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अंतर्गत विज्ञापित पद का मापदण्ड/निर्देश

क्र.	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1.	विषयवस्तु विशेषज्ञ – कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण	01	1. ग्रामीण प्रबंधन/ सामुदायिक विकास/ एमएसडब्ल्यू/विकास अध्ययन में स्नातकोत्तर। 2. संबंधित क्षेत्रों जैसे कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण, कम्युनिटी मोबलाइजेंशन, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्यानुभव।	1. ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए को प्राथमिकता। 2. ग्रामीण विकास/ सामाजिक विकास परियोजना/ पर्यटन क्षेत्र/ शासकीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता। 3. हिन्दी अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर एवं दस्तावेजीकरण में ज्ञान आवश्यक
2	विषयवस्तु विशेषज्ञ – प्रशिक्षण	01	1. ग्रामीण प्रबंधन/ सामुदायिक विकास/ एमएसडब्ल्यू/विकास अध्ययन में स्नातकोत्तर। 2. संबंधित क्षेत्रों जैसे सामुदायिक विकास संस्थागत निर्माण, कम्युनिटी मोबलाइजेंशन, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्यानुभव।	1. ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए को प्राथमिकता। 2. ग्रामीण विकास/ सामाजिक विकास परियोजना/ पर्यटन क्षेत्र/ शासकीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता। 3. हिन्दी, अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर एवं दस्तावेजीकरण में ज्ञान आवश्यक

आवश्यक निर्देश:

1. उक्त पद पर प्रथम नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी, जिसे विगत वर्ष के कार्यो के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के आधार पर 01-01 वर्ष की सेवा वृद्धि दी जा सकेगी, किन्तु अधिकतम सेवा की अवधि 05 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
2. निजी सेवा क्षेत्र के उम्मीदवारों हेतु दिनांक 31 जुलाई 2023 को अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी।

निरन्तर....................

3. आवेदनकर्ता को स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4. सलाहकार सेवा के पद पर शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकते हैं। शासकीय सेवाओं को उनके विभाग में प्राप्त होने वाली वेतन प्राप्तियां समान रूप से प्राप्त होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर मानदेय देय होगा। इन दोनों श्रेणी के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों से आवेदन करने वाले आवेदकों को उनकी वर्तमान/अंतिम परिलब्धियों को आधार मानते हुये, वर्तमान/ अंतिम परिलब्धियों के अधिकतम 10% तक अथवा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनुसार वृद्धि कर नीति अनुसार निर्णय कर मानदेय का निर्धारण किया जावेगा।

5. अवकाश एवं यात्रा भत्ते की पात्रता टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

6. नियुक्त सलाहकार पद पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगें।

7. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिए आवेदक पूर्णत: उत्तरदायी होगा।

8. केवल चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

9. पदों की संख्या में कमी/बढ़ोत्तरी करने का अंतिम अधिकार, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के पास सुरक्षित होगा।

10. सलाहकार सेवाओं हेतु चयनित उम्मीदवारों से नियुक्ति के पश्चात दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्यप्रदेश शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।